भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 16
25.11.2024 को उत्तर के लिए

वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के संबंध मं अनुग्रह राशि

16. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के लिए देय राहत संबंधी अनुग्रह राशि को संशोधित करके 10 लाख रुपए कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पूर्णत: केन्द्रीय निधि से दी जाती है अथवा राज्य भी इसमें से कुछ वहन कर रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वन्य जीवों के हमले के कारण हुई मानव मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सभी मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को वन्य जीवों के हमले के शिकार हुए लोगों के संबंध में अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निधि की कमी के संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान वन्य जीव कार्यकलापों से संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह राहत की राशि को केंद्र प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के तहत 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख

रुपये कर दिया है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण अनुपात 60:40 है तथा पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 है।

(ग) राज्यों द्वारा यथा सूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथियों और बाघों के हमलों के कारण हुई मानव मौतों का विवरण, क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वितरित की गई अनुग्रह राहत राशि से संबंधित सूचना मंत्रालय के स्तर पर एकत्रित नहीं की जाती है।

(ङ) और (च) मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए की जाने वाली गतिविधियों सहित वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा और उनके पर्यावासों में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं - वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के तहत केरल राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत केरल राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक III** और **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

"वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के संबंध मं अनुग्रह राशि" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानव-हाथी संघर्ष के कारण हुई मानव मौतों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	एन.आर.	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
3	असम	63	80	74
4	छत्तीसगढ	64	69	51
5	झारखंड	133	96	87
6	कर्नाटक	27	29	48
7	केरल	35	27	22
8	महाराष्ट्र	0	2	5
9	मेघालय	3	3	7
10	नगालैंड	2	1	1
11	ओडिशा	112	148	154
12	तमिलनाडु	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	0	4	4
15	उतराखंड	एन.आर.	4	8
16	पश्चिम बंगाल	77	97	99
कुल		557	610	628

*एनआर- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अनुलग्नक-II

"वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के संबंध मं अनुग्रह राशि" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानव-बाघ संघर्ष के कारण हुई मानव मौतों का विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (30-06-2024 तक)**
1	बिहार	4	9	-	1
2	छत्तीसगढ	0	0	3	0
3	कर्नाटक	1	1	8	1
4	मध्य प्रदेश	2	3	10	6
5	महाराष्ट्र	32	82	35	20
6	तमिलनाडु	3	0	1	0
7	उत्तर प्रदेश	11	11	25	10
8	उत्तराखंड	1	3	-	6
9	पश्चिम बंगाल	5	1	-	-
	कुल	**59**	**110**	**82**	**44**

अनुलग्नक-III

"वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के संबंध मं अनुग्रह राशि" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना -'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत केरल राज्य को जारी धनराशि का ब्यौरा **(लाख रुपए में)**

क्र. सं.	**वर्ष**	**लाख रुपये में**
1.	2021-22	295.7737
2	2022-23	224.4735
3	2023-24	921.0361

अनुलग्नक-IV

"वन्य पशुओं के हमले के कारण मानव जीवन की हानि के संबंध मं अनुग्रह राशि" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना - 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के अंतर्गत केरल राज्य को जारी धनराशि का ब्यौरा **(लाख रुपए में)**

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**वर्ष**	**लाख रुपये में**
1.	बाघ परियोजना	2021-22	868.78
	हाथी परियोजना		580.96765
2	बाघ परियोजना	2022-23	417.59
	हाथी परियोजना		270.09
3	*बाघ और हाथी परियोजना	2023-24	996.22425

* केन्द्र प्रायोजित योजना - 'हाथी परियोजना' और केन्द्र प्रायोजित योजना - 'बाघ परियोजना' को विलय कर दिया गया है और अब इसे केन्द्र प्रायोजित योजना 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के नाम से जाना जाता है।

***